प्राक्कथन

1 संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

2 इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

3 शेष अध्याय लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन देनों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बन्ध में है।

4 इस प्रतिवेदन के छठवें अध्याय में सरकारी वाणिज्यिक तथा व्यापारिक गतिविधियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

5 इस प्रतिवेदन के सातवें अध्याय में विभिन्न कर विभागों में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

6 प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2002-03 की अवधि के दौरान लेखाओं की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए साथ ही वह भी जो पूर्ववर्त्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। 2002-03 से पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।